

अपील सूचना का अधिकार सं० 160/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री  
मनमोहनदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23-के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना  
अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर


24-04-2017

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि  
उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को सुना गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के  
तहत आवेदन पत्र सं० 6232 दिनांक 04.07.2016 के द्वारा कुल 11 बिन्दुओं की सूचना लोक  
सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय से चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा  
सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण यह अपील आपके समक्ष प्रस्तुत की गयी है।  
अब वह इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है अर्थात् नॉट प्रैस करता है। यदि इस  
अपील को इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी अपनी अपील पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अर्थात् नॉट  
प्रैस करता है। अतः इसी आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की  
प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील  
दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
( ज्ञाना राम )  
जिला कलैक्टर  
श्रीगंगानगर